**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर**

पीठासीन अधिकारी :– मोनिका बलारा आर.ए.एस.

**मुकदमा नम्बरः– 21/2014**

**आरसीएमएस नम्बरः– 2014/00133**

**अनतर्गत धाराः– 88, 188 आर.टी.ए. एवं 136 एल.आर.ए.**

**लक्ष्मीनारायण वगै0 –बनाम– रामनारायण वगै0**

**प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति**

उपस्थितः– 1. श्री सत्यनारायण तिवाडी, अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 10, 11 ।
2. श्री हरीश मदान, अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण ।

–:निर्णयः– दिनांकः– 03/07/.2018

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण लक्ष्मीनारायण वगैराह द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बनाम रामनारायण वगैराह, अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं 136 एल.आर.ए. इस आशय का पेश किया कि ग्राम शहर काजाणी के खेत खसरा नम्बर 1 तादादी 44 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि नत्थु, लिखमा पुत्रगण रामचन्द्र जाति माली के नाम से बतौर खातेदार दर्ज थी। नत्थु व लिखमाराम के स्वर्गवास के बाद विरास्तन इंतकाल संख्या 63 नत्थु के वारिसानों एवं लिखमाराम के वारिसानों के नाम से दर्ज हुआ। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 नत्थु के वारिसान है । वादगत भूमि में वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 8 का 1/2 अविभाजित संयुक्त हिस्सा है। इंतकाल संख्या 67 सांठ गांठ से यह कहकर खोल दिया कि नत्थु व लिखमा खातेदारों ने अपनी उक्त कृषि भूमि मीरां व लिछमा को वर्ष 1965 में विक्रय कर दी । जबकि नत्थु पुत्र रामचन्द्र ने अपनी 1/2 हिस्से की भूमि कभी भी किसी को बेचान नहीं की है । उसे रामचन्द्र के दुसरे पुत्र लिखमाराम ने मीरां व लिछमा को बेचान किया था । अतः उक्त इंतकाल संख्या 67 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हकूकों की हद तक अवैद्य, शून्य और निष्प्रभावी है ।

2. प्रकरण में दिनांक 21.01.2015 को प्रार्थी/प्रतिवादीगण 10 के अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्ति दर्ज कर कथन किया कि वादगत रकबा ग्राम शहर काजाणी तहसील बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 12 तादादी 2.05 हैक, खसरा नम्बर 13/1 तादादी 0.02 हैक, खसरा नम्बर 14/1 तादादी 0.10 हैक, खसरा नम्बर 15/1 तादादी 0.57 हैक, खसरा नम्बर 17/1 तादादी 0.10 हैक, खसरा नम्बर 21/1 तादादी 0.23 हैक, एंव खसरा नम्बर 26/1 तादादी 0.08 हैक, प्रतिवादी संख्या 10, 11 की सम्पत्ति है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने उक्त भूमि का रूपान्तरण राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 90 ए के तहत् सक्षम अधिकारी द्वारा करवा लिया गया है । इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि अब कृषि भूमि से आवासीय भूमि के रूप में वर्ष 2013 में ही रूपान्तरित हो गई थी, जबकि इस सम्बंध में राजस्व रिकॉर्ड में भी संपरिवर्तन का अंकन हो जाने के बाद वादीगण का दावा 12.03.2014 को न्यायालय हाजा में पेश किया गया । जबकि

वादगत भूमि किस्म परिवर्तन (संपरिवर्तन) होने से न्यायालय हाजा को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रहता । इसलिये दावा वादी खारिज योग्य है।

3. जिसके जवाब में अप्रार्थीगण/वादीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो वादीगण की सम्पत्ति है । जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा निहित है । साथ ही कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने न्यायालय में वाद पेश करने के बाद एवं स्थगन आदेश को निष्फल करने के उद्धेश्य से व न्यायालय के आदेश की सरासर अवहेलना करने की नियत से जानबूझकर भूमि का रूपान्तरण करवाया है । आगे कथन किया कि वादगत भूमि आज भी कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने एक टुकडे का संपरिवर्तन स्थगन आदेश न्यायालय हाजा द्वारा जारी किये जाने के बाद करवाया है । भूमि की पश्चात्वर्ती में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कानूनन नहीं देखा जा सकता । मूल स्वरूप में उक्त भूमि कृषि भूमि रही है । जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा है, जिसे वादीगण को घोषित करवाने के लिए वादीगण वाद न्यायालय हाजा में लाये है । और वादगत भूमि कृषि भूमि होने से दावा सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है । प्रतिवादीगण साल भर से जवाब पेश नहीं कर रहे है, जबकि कानूनन अधिकतम 3 माह का समय होता है । साथ ही कथन किया कि प्रार्थना पत्र किस प्रावधान के तहत् पेश किया गया है, यह स्पष्ट वर्णित नहीं है । साथ ही उल्लेख किया कि कानून का प्रावधान है कि न्यायालय को केवल वाद पत्र को देखकर निर्णय आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रा. पत्र पर करना होता है, ना कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र व दस्तावेजों के आधार पर । अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना चाहिये।

4. प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

5. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि में से कुछ भूमि प्रार्थीगण की है और वह भूमि वाद दायरी दिनांक 12.03.2014 से पूर्व ही सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2013 परिवर्तित कर दी गई थी। वर्तमान में यह भूमि रिकॉर्ड में युआईटी, बीकानेर के नाम दर्ज है, जिसका इंतकाल संख्या 138 दिनांक 05.09.2013 को भरा गया था। अब यह भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। इस कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। चूंकि इस भूमि पर 90ए की कार्यवाही हो चुकी है, अतः इसकी अपील सम्भागीय आयुक्त के पास की जानी चाहिये । किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय को इसके सम्बंध में क्षेत्राधिकार नहीं है । इसके समर्थन में उन्होनें **RRT 2013(2) Page 808 रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर** की नजीर पेश की । अपनी बहस के समर्थन में उन्होनें निम्न नजीरें पेश की –

1. **RRD 1995 Raj. High Court Page 325**
2. **RRD 1972 Page 245**
3. **RLW 2013(1) RJ Page 81**
4. **RRD 1998 Page 648**
5. **AIR 2003 Supreme Court Page 759**
6. **AIR 1987 Supreme Court Page 1926**

6. इसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि 1967 की जमाबन्दी मेरे दावे का आधार है, जिसमें यह भूमि कृषि भूमि अंकित है । 1967 के बाद गलत इंतकाल के आधार पर रिकॉर्ड में परिवर्तन हुआ, लेकिन इन गलत प्रविष्टियों के कारण (वादीगण) का अधिकार समाप्त नहीं होता । इसके समर्थन में **CDR 2012(4) Page 2235 Raj.** नजीर पेश की ।

7. आगे अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण/अप्रार्थीगण संपरिवर्तन की अपील करने का भी अधिकार नहीं रखते, क्योंकि जमाबन्दी में उनका नाम

दर्ज नहीं है। लेकिन इस कारण वादीगण के अधिकार समाप्त नहीं होते और अपने अधिकारों की घोषणा के लिए ही न्यायालय की शरण में आये है । अधिवक्ता वादीगण ने रिकॉर्ड दुरूस्ती के लिए क्रेतागण (प्रतिवादीगण), जिला कलेक्टर व तहसीलदार बीकानेर को नोटिस दिये किन्तु सुनवाई नहीं होने के कारण दावा दायर करना आवश्यक हो गया। इसी न्यायालय को हमारे खातेदारी अधिकार घोषित करने का अधिकार है । आगे अपनी बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि में से जो भूमि संपरिवर्तित हुई है, उसके पट्टे अन्तरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी होने के बाद बने है।

8. आगे कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रा. पत्र को तय करते समय केवल मात्र दावे व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को देखा जाना होता है, ना कि प्रतिवादी के दस्तावेजों को । इसके समर्थन में उन्होनें निम्न नजीरें पेश की –

1. **CCC 1991 Page 443 (Raj.)**
2. **CCC 2015(2) Page 32 (Delhi)**
3. **CCC 2015(2) Page 513 (S.C.)**
4. **CDR 2013(1) Page 69 (Raj.)**
5. **CCC 2010(2) Page 452 (Delhi) (DB)**
6. **DNJ 2015 Page 242 (S.C.)**

9. प्रार्थना पत्र किस धारा के तहत् लगाया गया है, यह भी प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा गया है । अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र Heavy Cost के साथ खारिज किया जावें, क्योंकि केवल मात्र दावें को Linger on करने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र लगाया गया है ।

10. प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस के जवाब में कथन किया कि प्रा. पत्र में धारा, सेक्शन नहीं लिखने से प्रा. पत्र खारिज नहीं किया जा सकता । प्रा. पत्र का सब्जेक्ट मेटर महत्वपूर्ण होता है। इसके समर्थन में उन्होनें RRD 1969 Page 1 नजीर पेश की।

11. आगे कथन किया कि दावा पेश करते समय वादीगण ने पुराना रिकॉर्ड पेश कर न्यायालय को अंधेरे में रखने का प्रयास किया है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की हद तक दावा खारिज किया जावें ।

12. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया । दावे के दस्तावेजों का अध्ययन किया ।

13. वादीगण ने ग्राम शहर कजाणी तहसील बीकानेर में एक कृषि भूमि जिसके पुराना खसरा नम्बर 1 तादादी 44 बीघा 13 बिस्वा थे व नये खसरा नम्बर 9, 12 ता 21 एवं 26 होना बताया है, पर खातेदारी अधिकारों की मांग की है। किन्तु संलग्न दस्तावेज (मिलान क्षेत्रफल) से यह तथ्य सही साबित नहीं होता कि पुराने खसरा नम्बर 1 से नये खसरा नम्बर 9, 12 ता 21 एवं 26 बने है।। मिलान क्षेत्रफल से यह पता अवश्य लगा है कि खसरा नम्बर 1 मिन से खसरा नम्बर 9, 12, 13 एवं 17 बने है ।

14. वादीगण ने दावे में रिलीफ के पेरा नम्बर 1 में भूमि के खसरा नम्बरान् के बाद बाबत् क्षेत्रफल लिखा है " जिसकी तादादी संलग्न मिलान खसरा क्षेत्रफल में अंकित है।" इससे स्पष्ट है कि वादीगण ने कोई Specific Relief नहीं चाही है । मिलान क्षेत्रफल से केवल 8 हैक्टर भूमि दिखाई देती है, जबकि वादी 44 बीघा 13 बिस्वा हेतु अनुतोष की मांग कर रहा है ।

15. वादीगण ने रिलीफ में यह स्पष्टतः नहीं लिखा है कि किस प्रतिवादीगण की किस खसरा नम्बर की भूमि पर कितनी तादादी से अनुतोष चाहिये । अनुतोष के स्पष्ट नहीं होने के कारण अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है।

16. वादी ने दावें में पुराने खसरा नम्बर 1 की तादादी 44 बीघा 13 बिस्वा पर अनुतोष चाहा है, किन्तु प्रतिवादीगण 9 ता 16 के पास विवादित भूमि में से 6.59 हैक्टर ही है,

जिनके खसरा नम्बर 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 21/1, 22/1, 26/1, 13/2, 14/2, 15/2, 17/2, 21/2, 26/2 है। ये खसरा नम्बर किन पुराने खसरा नम्बरान् से बने है, इसके लिए कोई मिलान क्षेत्रफल वादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

17. वादीगण अपने कथनों के समर्थन में 4 वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके है । प्राथमिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने के बाद भी न्यायहित में एक अवसर वादीगण को वास्ते आवश्यक दस्तावेज पेश करने का दिये जाने के बाद भी वे दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है । इस प्रकार वादीगण CPC O-7-R-14 के प्रावधानों का अनुसरण करने में असफल रहे है ।

18. अप्रार्थीगण (वादीगण) के अधिवक्ता ने बहस में यह स्वीकार किया है कि भूमि का कुछ हिस्सा दावा दायरी से पूर्व ही संपरिवर्तन हो चुका था। इसकी जानकारी उन्हें पहले से थी। इससे स्पष्ट है कि दावे में किए गए कथन पूर्णतः सत्य नहीं है और न्यायालय को अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है।

19. दावा दायरी के समय तत्कालीन चालू जमाबन्दी भी पेश नहीं की गई है।

20. अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर **RRT 2013(2) Page 808, रेवेन्यु बोर्ड, अजमेर** पूर्णतः चस्पा होती है– जिसमें माननीय न्यायालय ने यह माना है कि "प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हुई तथा धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं रही है– मामले के विवरण की राजस्व न्यायालय को अधिकारिता नहीं है– निर्णित प्रार्थना पत्र सही खारिज किया ।

21. **RRD 1995 High Court Page 325, RRD 1972 Page 245** बाबत् राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार भी चस्पा होती है ।

22. यहाँ हम अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर – **RLW 2013(1) Raj. Page 81— Dhannalal & ors verses Prahlad kumar & Anv.** को विस्तार में **Discuss** करना उचित समझते है। इस मामले में माननीय राजस्व बोर्ड राजस्थान, अजमेर ने यह कहा है कि – यदि वाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग हो और सिविल प्रा. संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत् खारिज नहीं किया सकता हो तो न्यायालय असहाय नहीं होगा तथा वह सि.प्रा.सं. की धारा 151 के तहत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए वा खारिज कर सकता है – किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तुच्छ वाद को इस आधार पर जारी रखना कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि सि.प्र.सं. के आदेश 7 नियम 11 के तहत् कोई प्रावधान नहीं है, वास्तव में एक व्यथित पक्षकार को वाद का विचारण भुगते बिना उस तुच्छ मुकदमेंबाजी को कुचलने के उसके अधिकार से इंकार करना है।

आगे इसी निर्णय में माननीय न्यायालय ने पेज 86 पर उल्लेख किया है "अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वार बेदखल करने के मनगढंत कहानी गढकर न्यायालय में आना अनावश्यक वादकारण को सृजित करता है । **AIR 1977 (S.C.) Page 242** पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मनगढंत वादों को आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत न केवल अपास्त करने अपितु धारा 35ए सि.प्र.सं. के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये है ।" माननीय उच्च न्यायालय ने तो ऐसे अनावश्यक वादकरण को रोकने के लिए **RLW 2008(2) Raj. Page 1390** पर यहाँ तक निर्दिष्ट किया है कि–

**" If the suit is abuse of process of the court and cannot be dismissed under Order 7 Rule 11 CPC, then the court is not helpless and can dismiss the suit invoking the powers under section 151 CPC."**

माननीय न्यायालय ने आगे निर्णित किया है कि

**" At the cost of repetition, it is observed that the continuation of frivolous suit against any person on the ground that it cannot be dismissed since there is no provision under order 7 rule 11 CPC is virtually denying an**

aggrieved party his right to crush the frivolous litigation without suffering the trail of suit. "

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजहर हुसैन बनाम राजीव गाँधी SCC 1986 Page 315 पर आदेश 7 नियम 11 के सन्दर्भ में वर्णित किया है कि –

" The purpose of conferement of such power is to ensure that litigation which is meaningless and bound to prove abortive, should not be permitted to occupy the time of the court. "

23. अधिवक्ता अप्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा प्रस्तुत नजीरों में से CDR 2013(1) Page 69 Raj इस मामले में लागू नहीं होती । उनके द्वारा प्रस्तुत अन्य नजीरों का भाव मूलतः एक ही है कि दावे को O-7-R-11 CPC के तहत् खारिज करते हुए केवल और केवल दावे व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को देखा जाना है ।

24. ये नजीरें CCC 2018(2) Page 844 (S.C.) – Soumitra kumar Sen verses Shyamal Kumar Sen & ors

(i) **Civil Procedure Court, 1908, O-7-R-11 – Rejection of plaint,- It is only the plaint and not projected defence in written statement which is to be looked into to deside application for rejection of plaint."** आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को पूर्णतः स्पष्ट करती है । दावे व दस्तावेजों के देखने से ही हमारा यह मत हुआ है कि वादी का वाद दस्तावेजों के अभाव में पोषणीय नहीं है । यदि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसके दावे को समर्थन नहीं देते तो ऐसे बोगस दावे को नहीं चलने दिया जा सकता ।

25. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी 10 व 11 का प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर, प्रार्थीगण 10, 11 के हद तक दावा खारिज किया जाता है।

26. न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत् प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण दावें को खारिज करता है, क्योंकि ऐसा करना न्याय के उद्धेश्यों के लिए आवश्यक है।

27. आदेश आज दिनांक 03/07/18 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(मोनिका बलारा)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official